दिनांक–29.04.2025 को 3:00 बजे अपराह्न से निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में अवैध खनन की सैटेलाइट डाटा और वास्तविक समय सैटेलाइट ट्रैकिंग के उपयोग पर आहूत बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग।
2. श्री पुष्पेन्द्र गौड़, क्षेत्रीय खान नियंत्रक,
   भारतीय खान ब्यूरो, गाँधीनगर, गुजरात।
3. श्री मो0 कासिम, वरीय तकनीकी सहायक (सर्वे),
   MTS Projects, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
4. श्री पंकज कुमार, सहायक निदेशक (मु0)।
5. श्री शम्भू प्रसाद साहू, खनिज विकास पदाधिकारी (मु0)।
6. श्री लाल बिहारी प्रसाद, खनिज विकास पदाधिकारी (मु0)।
7. श्री रणधीर कुमार, खनिज विकास पदाधिकारी (मु0)।
8. श्री महेश्वर पासवान, खनिज विकास पदाधिकारी (मु0)।

श्री पुष्पेन्द्र गौड़, क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गाँधीनगर, गुजरात द्वारा दिनांक–29.04.2025 को 3:00 बजे अपराह्न से Mining Surveillance Systme (MSS) एवं श्री मो0 कासिम, वरीय तकनीकी सहायक (सर्वे) द्वारा Drone Data Management System (DDMS) के विषय पर प्रशिक्षण दी गई। उक्त प्रशिक्षण में MSS प्रणाली एवं Drone के संदर्भ में मुख्य निम्न बिन्दु बताई गई :–

1. खनन निगरानी प्रणाली (Mining Surveillane System) के बारे में उक्त प्रशिक्षण में अवगत कराया गया।

   खनन निगरानी प्रणाली के संबंध में क्षेत्रीय खान नियंत्रक, गुजरात द्वारा बताया गया कि यह एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें कार्टोसेट Satellite का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 60 CM Satellite Image high resolution वाली Satellite Camera से data प्राप्त किया जाता है।

2. खनन निगरानी प्रणाली में पट्टा क्षेत्र के चारों क्षेत्रों में 500 Meter का बफर एरिया ली जाती है। उक्त बफर क्षेत्र में खनन होने से संबंधित क्षेत्रों का Auto trigger generate होता है, जिससे खनन पट्टा के 500 Meter के दायरे में अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सकता है।

3. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, गुजरात द्वारा बताया गया कि खनन निगरानी प्रणाली (Mining Surveillane System) के उपयोग पूर्व राज्यान्तर्गत संचालित सभी खनन पट्टों का .KML file एवं .shape file बनना होगा।

4. खनन निगरानी प्रणाली (Mining Surveillane System) app पर सामान्य नागरिक भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

5. Drone Data Management System portal (DDMS) का अवैध खनन में प्रयोग के बारे में निम्न बिन्दु बताई गई :–

   i. Drone पारंपरिक सर्वेक्षण विधियों की तुलना में अधिक सटीक, तेज एवं किफायती एवं खतरनाक इलाकों का विश्लेषण करता है।

   ii. ड्रोन (UAV- Unmaned Aerial Vehicle) बिना पायलट हवाई यंत्र है, जो GIS और High Resolution कैमरा जैसे उपकरणों से लैस है।

   iii. ड्रोन से सर्वेक्षण के लिए ड्रोन को खास तरीके से प्रोग्राम किया जाता है, ताकि निर्धारित क्षेत्र में उड़ान भरकर कैमरा एवं अन्य सेंसर से तस्वीर ले सके। ये तस्वीर High Resolution वाली होती है और उन्हें GPS के साथ टैग किया जाता है।

   iv. ड्रोन डाटा का विश्लेषण, Q-GIS Software उपयोग करके किया जाता है।

   v. Drone Survey करने से पूर्व Drone पर SOP तैयार करना आवश्यक है।

6. Mining Surveillane System के संबंध में लोगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड सृजित करते हुए नियमित रूप से बिहार के संबंध में जो triggers generate हुए हैं एवं भविष्य में होंगे, उसके संबंध में धरातल पर जाँच करने हेतु प्रस्ताव संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी (मु0) प्रेषित करेंगे।

   Mining Surveillane System के संबंध में जो भी बिहार राज्य के संबंध में डाटा action लेने योग्य है, आवश्यक कार्यार्थ संचिका में उपस्थापित करेंगे।

(अनुपालनः–श्री लाल बिहारी प्रसाद, खनिज विकास पदाधिकारी, मुख्यालय)

7. Drone Data Management System के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव खनिज विकास पदाधिकारी (मु0) प्रस्तुत करेंगे।

8. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, गुजरात द्वारा प्रशिक्षण में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की महत्ता एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। इस योजना में सड़क, रेल, बंदरगाह, जलमार्ग और उद्योगों को तेजी से विकास होता है।

   इस संबंध में प्रोग्रामर को निदेश दिया गया कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति पोर्टल में वांछित डाटा अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–श्री बैजनाथ सिंह, प्रोग्रामर)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(विनोद दूहन) 21/5/25
निदेशक, खान,
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक :– 2782 /एम0, पटना, दिनांक :– 21/05/25

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सहायक निदेशक(मु0)/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0)/आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, खान